भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3658

उत्तर देने की तारीख- 02.04.2025

जनजातीय विद्यालयों में बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी

3658 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वीकृत होने के बावजूद भी कार्यशील न हो पाने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इसमें देरी के क्या कारण हैं;
(ख) ईएमआरएस तथा अन्य जनजातीय विद्यालयों में वर्तमान छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा क्या है तथा विशेष रूप से दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में रिक्त शैक्षणिक पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक स्थानीय जनजातीय भाषाओं में दक्ष हों, क्षेत्र - विशिष्ट भर्ती नीतियां लागू करने की योजना है; और
(घ) जनजातीय विद्यालयों में बिजली, पेयजल, कार्यशील शौचालयों तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों तक पहुँच सहित मूलभूत अवसंरचना की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 721 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को मंजूरी दी है, जिनमें से 477 क्रियाशील हैं और 245 अक्रियाशील हैं। ईएमआरएस को क्रियाशील बनाने में देरी का मुख्य कारण ईएमआरएस भवनों का निर्माण पूरा न होना है। ईएमआरएस के निर्माण में देरी के कारण निम्नानुसार हैं:-

- कई स्थानों पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा सभी बाधाओं से मुक्त उपयुक्त भूखंड उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- अतिक्रमण, स्थानीय गड़बड़ी और अन्य मुद्दों के कारण काम रुक गया है या प्रगति धीमी हो गई है।
- उचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वन भूमि (विद्यालयों के लिए चिन्हित) के परिवर्तन में ज्यादा देरी।
- स्कूलों के लिए चिन्हित भूमि के खिलाफ मुकदमेबाजी।
- चिन्हित भूमि पर पहुंच मार्ग, पानी की अनुपलब्धता।
- किराए की इमारतों से ईएमआरएस को क्रियाशील करने के लिए किराए की इमारतों की अनुपलब्धता।
- कुछ स्थानों पर भूमि चट्टानी, कठोर और कठिन स्थलाकृति वाली है, जिसकी वजह से नई भूमि की पहचान करनी होती है।
- भूमि, विशेष रूप से उत्तर पूर्व में निर्माण के लिए सशर्त उपहार विलेख होना।

(ख): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग ने देश भर में प्रति ईएमआरएस कुल 52 पदों को स्वीकृति दी है। कर्मचारियों की तैनाती उच्चतम कार्यशील कक्षा और सेक्सन की संख्या के अनुसार की जाती है और इसलिए सभी 52 पदों को कक्षा VI स्तर पर तैनात नहीं किया जाता है। ईएमआरएस में कई पद ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई-2023) के माध्यम से भरे गए हैं। ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने वाले जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) द्वारा आयोजित ईएसएसई-2023 के माध्यम से 9075 उम्मीदवारों को तैनाती दी गई है। इसके अलावा, कई ईएमआरएस में अस्थायी व्यवस्था के रूप में अतिथि आधार पर नियोजन किया गया है, ताकि शिक्षण कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

ईएमआरएस में छात्रों की अधिकतम संख्या 480 है और स्वीकृत शिक्षक के पद 31 हैं, अर्थात औसत अनुपात 15.5: 1 छात्र-शिक्षक बनाए रखा जाता है।

(ग): भाषाई और सांस्कृतिक बाधा को दूर करने के लिए, राज्य शैक्षिक समितियों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं पर सत्र आयोजित करने की व्यवस्था की जाती है। ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा (ईएसएसई-2023) के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान राज्य की अपेक्षित क्षेत्रीय भाषा सक्षमता को भी उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

(घ): जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए इन विद्यालयों में निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:-

1. **शैक्षिक अवसंरचना:**
- आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री से सुसज्जित कक्षाएँ।
- विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ।
- विविध शिक्षण संसाधनों से युक्त पुस्तकालय।

2. **आवास एवं सुविधाएं:**
- छात्रों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं।
- बिस्तर, फर्नीचर और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास।
- पीने के पानी के लिए आरओ की सुविधा
- स्थायी बिजली कनेक्शन
- बालक छात्रों और बालिका छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए अलग-अलग शौचालय

3. **खेल और पाठ्येतर सुविधाएं:**
- खेल के मैदान और खेल उपकरण।
- संगीत, कला और खेल जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएँ

4. **स्वास्थ्य और पोषण:**
- नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सुविधाएं।

5. **आईटी और डिजिटल लर्निंग:**
- डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट कक्षाएँ।
- इंटरनेट पहुंच के साथ कंप्यूटर लैब।

6. **व्यावसायिक प्रशिक्षण:**
- रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
